कार्यालय एवं न्यायालय ग्राम पंचायत गोजरा

विकास खण्ड नगर जिला कुल्लू हि०प्र०(175143)

अध्यक्षता :– प्रधान श्री हुकम राम **दिनांक :–05.12.2021**

प्रस्ताव संख्या :– 06 **उपस्थिति:– 85/316**

विषयः– अनापति प्रस्ताव (NOC) जारी करने वारे।

बैठक मे SERAJ HYDRO POWER DEVELOPERS के आवेदन पर चर्चा की गई कि उपरोक्त निवेदक ग्राम पंचायत गोजरा के क्षेत्राधिकार कनोई नाला में SAJLA 2 MW नाम की लघु पन परियोजना के निर्माण की इच्छुक है जिसके लिये ग्राम सभा गोजरा से अनापति प्रस्ताव (NOC) बांछित है | जिस पर समस्त उपस्थित सदस्यों ने गहन विचार- विमर्श किया तथा विचार -विमर्श उपरान्त सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया कि ग्राम पंचायत गोजरा को SERAJ HYDRO POWER DEVELOPERS द्वारा सजला 2 MW लघु पन परियोजना के निर्माण पर कोई आपति नही है तथा सशर्त अनापति प्रस्ताव (NOC) प्रदान किया जाता है |

अत: ग्राम पंचायत गोजरा द्वारा निम्न लिखित शर्तों के अनुसार SERAJ HYDRO POWER DEVELOPERS द्वारा SAJLA 2 MW लघु पन परियोजना के निर्माण के लिये अनापति प्रस्ताव प्रदान करती है

1) यह कि ग्राम पंचायत गोजरा में निर्मित सिंचाई योजनाओं तथा पेय जल योजनाओं को SAJLA 2 MW लघु पन परियोजना निर्माण से किसी भी प्रकार से नुक्सान अगर होता है तो परियोजना निर्माता द्वारा नुक्सान की भरपाई की जायेगी

2) यह कि परियोजना द्वारा वन्य सम्पदा की हानि कम से कम की जाये |

3) यह कि परियोजना में प्राथमिकता के आधार पर 70% रोजगार ग्राम पंचायत गोजरा के स्थानीय निवासियों को सुनिशिचित किया जाये |

4) यह कि जल शक्ति विभाग अथवा अन्य विभाग से प्रस्तावित योजनाओं के लिये यथोचित पानी का वहाव रखा जाएगा |

5) यह कि परियोजना का निर्माण ग्राम पंचायत की कुहल आदि के समस्त स्त्रोंतो से उपर किया जाये तथा इसमें किसी भी प्रकार के फेर बदल करने पर अनापति प्रस्ताव निरस्त समझा जायेगा |

6) यह कि परियोजना द्वारा निर्मित सडक का प्रयोग केवल संबधित पंचायत के लोग ही करेंगे जिसमे एक चेक पोस्ट का निर्माण भी किया जाये जिसमे ग्राम पंचायत गोजरा के स्थानीय निवासी को ही कर्मचारी नियुक्त किया जाये |

7) यह कि सड़क का प्रयोग किसी भी तरह के अबैध कार्यों के लिये नहीं किया जाएगा |

अत: उपरोक्त वर्णित शर्तो अनुसार अनापति प्रस्ताव (NOC) जारी किया जाता है | उपरोक्त वर्णित शर्तों मे किसी भी प्रकार से अनुपालना नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापति प्रस्ताव (NOC) को स्वत: निरस्त समझा जाएगा |

स्वीकार एवं पारित हुआ |

प्रधान ग्राम पंचायत गोजरा
वि.ख. नग्गर, जिला कुल्लू

हस्ताक्षर........................
दिनांक........................

Secretary
Gram Panchyat Gojra
Development Block Naggar
Distt. Kullu (H.P.)